Title: Issues relating to transfer policy of Doctors under the CGHS.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्रीय स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो नवम्बर 2004, को पहली बार 222 जीडीएमओ डाक्टरों का सामूहिक स्थानांतरण किया है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। *(Interruptions)**

MR. SPEAKER: I would not allow taking names of individuals.

Do not record the name.

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीरियल नम्बर 42 में स्वैच्छिक सेवा निवृत हो चुके डॉक्टर का भी स्थानांतरण हो चुका है। मैं मांग करना चाहूंगा कि जो 15 डॉक्टर केन्द्र सरकार के थे, उनको दिल्ली सरकार में इस समय सेवा का मौका दिया गया है। जो 15 छोटे अस्पतालों में मेडिकल सुपरिटैंडेंट की हैसियत के हैं, उन्हें सीजीएचएस में मरीज देखने के लिए भेजा जा रहा है। सामूहिक स्थानांतरण में एक कैडर के लोगों का ही स्थानांतरण किया गया है जबकि सामूहिक कैडर के लोगों को लिया जाना चाहिए था। स्थानांतरण की कोई नीति नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सीजीएचएस के डॉक्टरों का स्थानातरण सीजीएचएस में किया जाए और गलत सूची में संशोधन किया जाए। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please do not misuse the opportunity.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I request the hon. Member not to espouse individual cases here inside the House. If he wants, he can go and meet the Minister.

...(*Interruptions*)